



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 18.04.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **फायर सर्विस टीम द्वारा किया गया सैनेटाइजेशन**



आज दिनांक 18.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए (वीकेंड लॉकडाउन में) प्रभारी अग्निशमन अधिकारी एवं फायर सर्विस टीम द्वारा फायर सर्विस मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन में कोविड-19 की रोकथाम हेतु निम्न जगहों पर सैनेटाइजेशन का कार्य किया गया।

1. थाना कोतवाली सदर
2. थाना अजनर
3. थाना कुलपहाड़
4. चौकी बजरिया
5. चौकी मलियादेव
6. चौकी बेलाताल

7. संपूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर
10. बस स्टैंड एवं वर्कशॉप

8. उप कारागार

9. चौकी भटीपुर

11. पुलिस अधीक्षक आवास





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक:- 18.04.2021

# महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



## वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना



आज दिनांक 18.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 17.04.2021 को रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 19.04.2021 को सुबह 07.00 बजे (35 घण्टे) तक वीकेंड लॉकडाउन लगाये जाने के आदेश के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा इसका पूर्णतः पालन कराया गया। अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारीगणों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर पुलिस बल द्वारा

इसका पालन करवाया गया एवं पीए सिस्टम द्वारा लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक भी किया गया। लोगों को “02 गज की दूरी मास्क है जरूरी” का संदेश दिया गया। साथ ही लोगों से मास्क का प्रयोग करने व समय-समय पर अपने हाथों को साबुन/सैनिटाइजर से धोने की अपील की गई। वीकेंड लॉकडाउन व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 02 ई-चालान, 02 वाहन सीज एवं 143 व्यक्तियों से 25500/-रु0 शमन शुल्क वसूला गया।

